न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 70/2021 राजस्व प्रार्थनापत्र

उनवान

1 कालू लाल पुत्र बालू नट नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.) मृतक के बजाय कायम–

1/1 शंकर लाल पुत्र श्री कालू लाल नट नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

1/2 दुर्गा देवी पुत्री श्री कालू लाल नट पत्नी श्री देवी लाल नट नि0 लाम्बिया तहसील बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

2 श्रीमती भागुती पत्नी श्री गणपत नट नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

3 रतनलाल पुत्र श्री बालू नट नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1. रामपाल पुत्र श्री मथुरा लाल शर्मा नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. जगदीश पुत्र श्री मथुरा लाल शर्मा नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. दलीचन्द पुत्र श्री बद्री सैन नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. भैरू लाल पुत्र श्री गोकुल सैन नि0 पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
5. महावीर पुत्र श्री धन्ना चमार नि0 जित्या तहसील एवं जिला भीलवाडा(राज.)
6. बरदीचन्द पुत्र श्री काना सरगरा नि0 पीपली पीपली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)
8. मांगू पुत्र श्री सवाईराम जाट नि0 दलेल सिंह जी का खेडा तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज0)

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::–

श्री कैलाशचन्द्र आचार्य –––– प्रार्थी अधिवक्ता उप0

श्री पृथ्वीराज चौधरी अप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 8 उप0

अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 06 अनु0

राज्य पक्ष की ओर से तहसीलदार हमीरगढ

निर्णय

दिनांक 20–05–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 29.08.2025 को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हैः–

यह कि सरहद प्रार्थीगण के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात सरहव पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में आराजी

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ (राज.)

नम्बर 1256 रकबा 1.0116 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1256/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 02 रकचा 1 0369 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। यह कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण सख्या 01 एक में वर्णित आराजीयात मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि मुख्य सड़क भीलवाड़ा–बस्सी रोड़ से होकर विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 08 की आराजी नन्दर 1336/1238, 1248, 1249, 1250, 1321/1251, 1252/1, 1252/2, 1255 की पश्चिमी मेड़ के सहारे होकर प्रार्थीगण अपनी प्रार्थनापत्र की वरण संख्या 01 एक में वर्णित आराजियात पर आते जाते है जो 20 फीट चौड़ा रास्ता है। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजियात मे आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजियात में आने जाने का एकमात्र रास्ता व अत्यंतिक आवश्यक उक्त कदीमी रास्ता ही है. इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है व विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 छह की नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थीगण की आराजियात को हडप करने की गरज रास्ते मे अवरोध पैदा कर दिया । जबकि विपक्षी संख्या 01 एक लगायत 06 छह को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है व विपक्षीगण को दिनांक 10 नवम्बर 2021 दो हजार इक्कीस को रास्ता खुलासा रखने व रास्ता दर्ज कराने हेतु कहने पर साफ तौर इंकार हो गये। जबकि विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 01 लगायत 06 जबरन प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से आवागमन करने में बाधा पैदा कर रहा है व रास्ते को बंद करने पर आमादा है। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड (नक्शे) में दर्ज नही है। उक्त रास्ता बाबत मौके की रिपोर्ट तलब फरमा, उसके आधार पर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज करने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पांबद किया जावे कि उक्त रास्ते में अवरोध पैदा नही करे। यह है कि उपरोक्त खातेदारो से प्रार्थीगण ने आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु हम अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये है। जिससे उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही होने से यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि आपके माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा– 251–ए की उपधारा (1) के अधीन हमारी सरहद पीपली पटवार हल्का पीपली भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा में आराजी नम्बर 1256 रकबा 1.0116 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1256/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर कुल किता 02 रकबा 1.0369 हैक्टयर जिस पर आने जाने हेतु जो कि एकमात्र रास्ता जो कि मुख्य सड़क भीलवाड़ा बस्सी रोड़ से होकर विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 06 की आराजी नम्बर 1336/1238, 1248, 1249, 1250, 1321/1251, 1252/1, 1252/2, 1255 की पश्चिमी मेड़ से होकर अपनी आराजियात पर जाते है, से 20 फीट नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए हम सदैव तैयार है।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 03 संपठित धारा 151 जा0दी0 पेश किया गया जिसको स्वीकार किये जाने की आज्ञा पारीत की गई। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 अनु0 अप्रार्थीगण संख्या 08 की ओर से अधिकार पत्र अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज चौधरी का पेश हुआ। न्यायालय द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए तहसीलदार हमीरगढ को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी
हमी... (...)

भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार हमीरगढ ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक का अभाव है। चाहा गया मार्ग ही प्रार्थी के पास एक मात्र मार्ग होना बताया गया है। तहसीलदार द्वारा मौजा दलेल सिंह जी का खेडा पटवार मण्डल आमलीगढ जिला भीलवाडा स्थित अप्रार्थी संख्या 08 के खातेदारी आराजी संख्या 312/32 रकबा 1.1128 है0 मे से रकबा 0.0378 है0 भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

वकील प्रार्थी/अप्रार्थी ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र/जवाब को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। वकूलाय फरिकेन द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:–

1. **रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है।**
2. **प्रार्थी के लिए सबसे निकटतम/सुगमतम मार्ग प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग ही है। जो राजस्व/नजरी नक्शे के अवलोकन से सिद्ध भी हुआ है।**
3. **प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता निर्बाध आवागमन के लिहाज से सबसे निकटतम व सुगमतम रास्ता है।**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थी को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार हमीरगढ से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 5 मीटर चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः मौजा दलेल सिंह जी का खेडा पटवार मण्डल आमलीगढ जिला भीलवाडा स्थित अप्रार्थी संख्या 08 के खातेदारी आराजी संख्या 312/32 रकबा 0.1128 है0 मे से रकबा 0.0378 है0 नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायपूर्ण मानता है।

–:: <u>आदेश</u> ::–

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा दलेल सिंह जी का खेडा पटवार मण्डल आमलीगढ जिला भीलवाडा स्थित अप्रार्थी संख्या 08 के खातेदारी आराजी संख्या 312/32 रकबा 1.1128 है0 मे से रकबा 0.0378 है0 भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 08 (आराजी संख्या 312/32 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील हमीरगढ में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी
हमी

अनुसार रकबा 0.0378 है0 मालियत राशि की दो गुना राशि अदायगी कर दी जावेगी/जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ
जिला, भीलवाड़ा